



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-20042022-235252
CG-DL-E-20042022-235252

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 288]
No. 288]

नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 20, 2022/चैत्र 30, 1944
NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 20, 2022/CHAITRA 30, 1944

शिक्षा मंत्रालय

(उच्चतर शिक्षा विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 अप्रैल, 2022

सा.का.नि. 302(अ).— केन्द्रीय सरकार, भारतीय प्रबंधन संस्थान अधिनियम, 2017 (2017 का 33) की धारा 34 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय प्रबंधन संस्थान नियम, 2018 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है अर्थात्:-

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय प्रबंधन संस्थान (संशोधन) नियम, 2022 है।
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
- भारतीय प्रबंधन संस्थान नियम, 2018 के नियम 7 के उपनियम (1) में –
(क) खंड (i) का लोप किया जाएगा;
(ख) खंड (ii) में, "65 वर्ष" अंको और शब्दों के स्थान पर "सत्तर वर्ष" शब्द रखे जाएंगे।

[फा.सं. 8-10/2022-टीएस.V]

पुर्णेन्दु किशोर बनर्जी, संयुक्त सचिव

नोट: मूल नियम संख्याक सा.का.नि. 1181(अ), तारीख 6 दिसंबर, 2018 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किए गए थे जो अभी तक संशोधित नहीं किए गये हैं।

MINISTRY OF EDUCATION

(Department of Higher Education)

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th April, 2022

G.S.R. 302(E).—In exercise of the powers conferred by section 34 of the Indian Institutes of Management Act, 2017 (33 of 2017), the Central Government, hereby makes the following rules to amend the Indian Institutes of Management Rules, 2018, namely:-

1. Short title and commencement - (1) These rules may be called the Indian Institutes of Management (Amendment) Rules, 2022.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Indian Institutes of Management Rules, 2018, in sub-rule (1) of Rule 7, -
 - (a) clause (i) shall be omitted;
 - (b) In clause (ii), for the words “sixty five”, the words “seventy” shall be substituted.

[F. No. 8-10/2022-TS.V]

PURNENDU KISHORE BANERJEE, Jt. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) dated the 6th December, 2018, *vide* number G.S.R. 1181(E), dated the 5th December, 2018, which have not been amended so far.